कार्यालय नजारत अनुभाग
जनपद न्यायालय, शाहजहांपुर

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, शाहजहांपुर के कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी दिनांक 18.11.2023 दिन शनिवार समय सांयः 04:30 बजे नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को दीवानी न्यायालय, शाहजहांपुर में कम्प्यूटर अनुभाग के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, शाहजहांपुर में उपस्थित होकर जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु केन्द्रीय नजारत, शाहजहांपुर से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

(आलोक कुमार शुक्ला)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद न्यायालय,
शाहजहांपुर।

जनपद न्यायालय शाहजहांपुर

नीलामी के नियम व शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, शाहजहांपुर के कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य उपकरणों की नीलामी दिनांक 18.11.2023 दिन शनिवार समय सांयः 04:30 बजे नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को दीवानी न्यायालय, शाहजहांपुर के कम्प्यूटर अनुभाग के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में सम्पन्न की जाएगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित हैं:-

1- उक्त कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी हेतु न्यूनतम धनराशि 5,000.00 रूपये निर्धारित की गयी है।

2- नीलामी के लिये आवेदन फार्म मु0 200/- रूपये का भुगतान कर नजारत कार्यालय से दिनांक 15.11.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

3- नीलामी हेतु आवेदनकर्ता को मु0 2,500/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला जज, शाहजहांपुर के नाम से बनवाकर / नगद प्रतिभूति के रूप में अपने आवेदन फार्म के साथ दिनांक 18.11.2023 को सांय 03:00 बजे तक नजारत कार्यालय, जिला न्यायालय शाहजहांपुर में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त समय के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

4- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड व पासपोर्ट साईज का फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

5- नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी माननीय जनपद न्यायाधीश शाहजहांपुर को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

6- किसी भी दशा में नीलामी राशि निर्धारित न्यूनतम धनराशि से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

7- नीलामी प्राप्तकर्ता को कम्प्यूटर उपकरणों को हटाने के लिये नीलामी सम्पन्न होने के पश्चात अगले कार्य दिवस की तिथि से अधिकतम एक सप्ताह का समय प्रदान किया जायेगा।

Sd/-
(आनंद प्रिय गौतम)
सदस्य, समिति
मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट
जनपद न्यायालय
शाहजहांपुर।

Sd/-
(अभय प्रताप सिंह-I)
सदस्य, समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 42
जनपद न्यायालय
शाहजहांपुर।

Sd/-
(आलोक कुमार शुक्ला)
अध्यक्ष, समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 04
जनपद न्यायालय
शाहजहांपुर।